सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 18, गुरूवार, शाके 1943-दिसम्बर 09, 2021 *Agrahayana 18, Thursday , Saka 1943- December 09, 2021*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

आदेश

जयपुर, दिसम्बर 02, 2021

संख्या एफ.2(अ.स. 185/21)एसीबी/डीएलबी/2021/385:-भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अजमेर द्वारा श्री सुरेन्द्र सोनी, पार्षद वार्ड नं. 19, नगर परिषद, ब्यावर के विरूद्व एफ.आई.आर. संख्या 185/2021 दर्ज की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री सुरेन्द्र उर्फ सुनिल लखारा द्वारा परिवादी श्री सीताराम के प्रतिष्ठान पर पहुंचकर श्री सुरेन्द्र सोनी, पार्षद एवं अन्य के कहे अनुसार रिश्वती राशि दिनांक 10.06.2021 को 2.50 लाख रूपये प्राप्त करने पर रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार श्री सुरेन्द्र सोनी का अन्य आरोपीगणों से मिलीभगत कर रिश्वत राशि की मांग कर एवं अन्य आरोपीगण के माध्यम से प्राप्त करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

चूंकि श्री सुरेन्द्र सोनी के पद पर बने रहने से अनुसंधान और गवाहों पर प्रभाव डाल कर जांच प्रभावित करने की संभावना है। अत: राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 में वर्णित विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लेते हुये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(6) के प्रावधान के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री सुरेन्द्र सोनी, पार्षद वार्ड नं. 19, नगर परिषद, ब्यावर को सदस्य पद से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती है। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

3632
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।